

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 1548/190/बजट/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/11/2018

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय:- योजना क्रमांक 0798 एवं 6066 में कार्यालय एवं आकस्मिक व्यय मदों के अंतर्गत बजट
आवंटन - वित्तीय वर्ष 2018-19

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक 0798 एवं 6066 अन्तर्गत कार्यालय तथा अन्य आकस्मिक व्यय मदों में निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आवंटन जारी किया जाता है :-

क	महाविद्यालय का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	बजट शीर्ष 44-2202-03-103-0101-0798-	आवंटित राशि
1	शा.महावि.उमरानाला जिला छिन्दवाड़ा	393/ 5.5.18	0798-22-004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	100000
2	शा.कन्या महावि.सीहोर	856/ 12.7.18	0798-22-004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं 0798-22-007 स्टेशनरी	100000 10000
3	शा.माता जीजाबाई कन्या पी.जी.महावि.इंदौर	1119/ 7.7.18	0798-22-007-स्टेशनरी	75000
4	शा.महावि.हरई जिला छिन्दवाड़ा	319/ 10.7.18	0798-22-004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं (लंबित भुगतान हेतु)	25000
5	शा.महावि.नौगावं जिला छतपुर	175/ 13.7.18	0798-22-013-कार्यालय उपकरण	300000
6	शा.के.पी.महावि.देवास	1065/ 12.7.18	0798-33-002 मशीन एवं उपकरण अनुरक्षण (मरम्मत) 0798-33-006 फर्नीचर अनुरक्षण (मरम्मत) 0798-22-004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	25000 50000 150000
7	शा.नेहरू महाविद्यालय बुढ़ार जिला शहडोल	555/ 13.7.18	0798-33-002 मशीन एवं उपकरण अनुरक्षण (मरम्मत) 0798-33-006 फर्नीचर अनुरक्षण (मरम्मत) 0798-22-004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	25000 50000 100000
8	शा.संस्कृत महावि. ग्वालियर	10.7.18	6066-22-004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	10000
	कुल योग			1020000

(2) उक्त राशि का आहरण उपरोक्तानुसार उल्लेखित बजट शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से विकलनीय होगा।

(3) व्यय करने के पूर्व समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं अद्यतन भण्डार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(4) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(5) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(7) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

(8) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(9) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(10) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

“आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0- 1549 / 190 / आउशि / बजट / 2018

भोपाल, दिनांक-24/11/2018

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, न्यायालय प्रकोष्ठ कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, गोपीनीय प्रकोष्ठ, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
6. समस्त संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संबंधित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश